राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2018/349 दिनांक– 8-8-18

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 09.08.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 – 63

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100–100 प्रतियॉ संलग्न हैं।

भवदीय,

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)

Pollution Control Officer
Transport Department
5/9 Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम – परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता – 5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–54
तारांकित प्रश्न संख्या – 63
प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री जगदीश प्रधान
दिनांक – 09-08-2018

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>क्या यह सत्य है कि यूपी, हरियाणा एवं अन्य राज्यों से टैक्सियां बिना वैध परमिट के दिल्ली में चल रही है;</td><td>जी हाँ।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>क्या यह भी सत्य है कि झारखंड जैसे राज्यों के वाहन भी एम्बुलेंस के नाम पर दिल्ली में चल रहे हैं;</td><td>ऐसा संज्ञान में नहीं है।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>अन्य राज्यों के वाहनों को अनुमति देने के लिए सरकार की क्या नीति है;</td><td>अन्य राज्यों के पंजीकृत परिवहन वाहन दिल्ली में राष्ट्रीय परमिट, ऑल इंड़िया टूरिस्ट परमिट तथा राज्यों के बीच पारस्परिक समझौतों के तहत दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों की टैक्सियाँ ओला, उबर इत्यादि, एग्रीगेटरस के माध्यम से चल रही हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए Licensing and Regulations of App based Aggregators rules बना दिए गए थे। उसको अन्तिम रूप देने के लिए मुख्यमन्त्री के आदेश से High Powered Committee का गठन किया गया है, उसकी रिर्पोट आना बाकी है। रिर्पोट आने के बाद नियम लागू किए जाएगें।</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>इस गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और</td><td>गैर कानूनी रूप से चलते पाये गए वाहनों के विरूद्ध समय समय पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत ऐसे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।</td></tr>
<tr><td>ड.</td><td>इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने में सरकार क्यों नाकाम रही है?</td><td>परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत लगातार कार्यवाही करती रहती है।
बिना वैध परमिट के दिल्ली में चलती पाई जाने वाली व अन्य राज्यों से आने वाली टैक्सियो के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत निरन्तर कार्यवाही की जाती है। 01–05–2018 से 30–06–2018 के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:–
<table>
<tr><th>वाहन विवरण</th><th>कुल वाहन</th><th>चालक के चालान</th><th>मालिक के चालान</th><th>कुल बंद वाहन</th></tr>
<tr><td>टैक्सी (अन्य राज्य)</td><td>404</td><td>404</td><td>157</td><td>171</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर

(वर्षा जोशी) IAS
विभागाध्यक्ष

VARSHA JOSHI, IAS
Secretary cum Commissioner (Tpt)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi